कार्यालय कलेक्टर जिला –बिलासपुर, (छ0ग0)

ज्ञापन

क्रमांक/1657/भू–अभिलेख/जांच/2024 बिलासपुर दिनांक 19.09.2024

प्रति,

आयुक्त महोदय
बिलासपुर संभाग बिलासपुर (छ0ग0)

विषय :– **आवेदक पंकज खडेलवाल निवासी बिलासपुर द्वारा कालोनाईजर को शासकीय भूमि से नियम विरुद्ध रास्ता प्रदान कर शासन को करोड़ों की क्षति कारित करने के संबंध में।**

---00---

विषयान्तर्गत आवेदक पंकज खंडेलवाल निवासी बिलासपुर द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर श्री शशिभूषण सोनी व पूर्व पदस्थ नायब तहसीलदार श्री शेषनारायण जायसवाल द्वारा कॉलोनाईजर को शासकीय भूमि से नियम विरूद्ध रास्ता प्रदान कर शासन को करोड़ों की क्षति कारित करने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त शिकायत पत्र पर टी०एल०कं० 17544 दिनांक 04.03.2024 दर्ज कर जांच की कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बिलासपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेज का परीक्षण करने हेतु प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा बिलासपुर को निर्देशित किया गया। प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त शिकायत के संबंध में प्रतिवेदन निम्नानुसार है –

यह कि तत्कालीन नायब तहसीलदार बिलासपुर श्री शेषनारायण जायसवाल के प्रकरण क्रमांक 202102075000033 गायत्री कन्स्ट्रक्शन द्वारा भागीदार राघवेन्द्र गुप्ता विरुद्ध छ0ग0 शासन में आदेश पारित कर **शासकीय भूमि खसरा नं0 8/1 कुल रकबा 11.1170 हे0 मे से 160 फिट लंबा 32 फिट चौड़ा कुल 5120 वर्गफिट भूमि पर आवेदक के निजी भूमि तक आने जाने के लिए आम रास्ता के उपयोग के लिए शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।**

इसी प्रकार तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर श्री शशिभूषण सोनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 202310075300033 आवेदक श्रीराम सरिता बिल्डर्स एण्ड कालोनाईजरस प्रा.लि. आशिष गुप्ता आत्मज रामनिवास गुप्ता में आवेदक के, निजी भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा क्रमांक 293 रकबा 0.170 हे० भूमि आवेदक के ही सरकंडा बहतराई सड़क मार्ग से लगी हुई उसकी निजी भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 298/1 रकबा 0.1290 हे० खसरा नंबर 299/4 रकबा 0.134 हे० एवं शासकीय भूमि खसरा नंबर 294/1 रकबा 0.530 हे० से लगी हुई है। वर्तमान में मौके पर नक्शा बटांकन नहीं है। **सरकंडा – बहतराई सड़क मार्ग से लगकर खसरा नंबर 294, 298, 299 से आवेदक के निजी भूमि (खसरा नंबर 298/1 रकबा 0.1290 हे० खसरा नंबर 299/4 रकबा 0.134 हे0) को सम्मिलित करते हुए भूमि खसरा**